भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 262

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर के लिए

युवा संसद

262. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के समन्वय से नियमित रूप से युवा संसद का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्कूल स्तर पर युवा संसद को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : हाँ

(ख) और (ग): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय पूरे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:-

i. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;

ii. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;

iii. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और

iv. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।

इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतियोगिताओं की समाप्ति पर दावा प्राप्त

होने के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है:-

क्र.सं.	विधानमंडल की सदस्य संख्या	प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि
1.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या 100 तक है	रू.3 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
2.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या 100 से 200 के बीच है	रू.4 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
3.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या 200 से अधिक है	रू.5 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
4.	संघ राज्य क्षेत्र, जहां कोई विधानमंडल नहीं है	रू.2 लाख प्रति संघ राज्य क्षेत्र प्रतिवर्ष

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब-पोर्टल भी है, जिसके माध्यम से देश के सभी शैक्षणिक संस्थान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी युवा संसद का संचालन कर सकते हैं।

***